**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 99**
21.07.2025 को उत्तर के लिए

**जलवायु संबंधी अंतर्राष्ट्रीय निवेश और सहयोग**

**99. श्री पी. सी. मोहनः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान विदेशी सरकारों और हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) तथा वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ किए गए जलवायु-संबंधी निवेशों और सहयोगों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कर्नाटक राज्य, विशेषकर बेंगलुरु में शहरी जलवायु लचीलेपन, स्वच्छ गतिशीलता या नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित कोई विशिष्ट जलवायु वित्त समझौते लागू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी साझेदारी में निजी क्षेत्र की संस्थाओं और स्टार्टअप्स की भागीदारी क्या है, और क्या बेंगलुरू स्थित कोई फर्म ऐसी पहलों का हिस्सा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान वितरित जलवायु वित्त की कुल राशि और इन निधि वितरण के अंतर्गत किन प्रमुख क्षेत्रों को सहायता प्राप्त हुई है; और
(ड.) राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों और स्टार्टअप्स के लिए जलवायु वित्त तक पहुंच बढ़ाने हेतु क्या रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भविष्य में हरित निवेश आकर्षित करने के उपाय भी शामिल हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (ङ) भारत बहुपक्षीय हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) से जुड़ा हुआ है। जीसीएफ के अंतर्गत, अब तक स्वास्थ्य, खाद्य और जल सुरक्षा; लोगों और समुदायों की आजीविका, बुनियादी ढाँचा और मानव निर्मित पर्यावरण, ऊर्जा उत्पादन और पहुँच, भवन, शहर, उद्योग और उपकरण, परिवहन एवं वन तथा भूमि उपयोग सहित परिणामी क्षेत्रों में तेरह (13) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। परियोजनाओं का विवरण *अनुलग्नक-I* में संलग्न है।

जीईएफ जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण, अंतर्राष्ट्रीय जल, और रसायन एवं अपशिष्ट जैसे क्षेत्रों में वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान जलवायु परिवर्तन मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत जीईएफ परियोजनाओं का विवरण *अनुलग्नक-II* में संलग्न है।

कर्नाटक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा कार्यान्वित जीईएफ-7 परियोजना "भारत में कम कार्बन वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए औद्योगिक बॉयलरों के डिजाइन, निर्माण और संचालन में तापीय ऊर्जा दक्षता में सुधार" के अंतर्गत शामिल राज्यों में से एक है।

जीसीएफ, संयुक्त वित्त और सह-वित्तपोषण अवसरों सहित विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से विकासशील देशों में जलवायु परियोजनाओं के लिए सक्रिय रूप से निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाता है। जीसीएफ निजी पूंजी का लाभ उठाने और जोखिमों को कम करने के लिए अनुदान, रियायती ऋण, इक्विटी और गारंटी जैसे वित्तीय साधनों के मिश्रण का उपयोग करता है, जिससे जलवायु कार्रवाइयों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। वर्ष 2018 में स्वीकृत जीसीएफ द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम "वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों के लिए सौर रूफटॉप खंड हेतु ऋण सहायता" हेतु कर्नाटक को राज्यों में से एक चुना गया था।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने वर्ष 2019-2022 के दौरान 20 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करके कर्नाटक के लिए राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) का समर्थन किया है।

भारत की जलवायु कार्रवाई सामान्य बजट प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाती है। राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों और स्टार्टअप्स को अपनी आवश्यकता के अनुसार जीसीएफ और जीईएफ जैसे बहुपक्षीय कोषों से जुड़ने का विवेकाधिकार है।

*****

*अनुलग्नक-I*

| क्र.सं. | परियोजना/कार्यक्रम | अनुमोदन वर्ष | जीसीएफ फंडिंग (अमेरिकी डॉलर में) |
|---|---|---|---|
| 1. | ओडिशा के कमजोर जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनुकूलता बढ़ाने के लिए भूजल पुनर्भरण और सौर सूक्ष्म सिंचाई | 2017 | 34,357,000 |
| 2. | भारत के तटीय समुदायों की जलवायु अनुकूलता बढ़ाना | 2018 | 43,418,606 |
| 3. | वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय आवास क्षेत्रों के लिए सौर रुफटॉप खंड हेतु ऋण सहायता | 2018 | 100,000,000 |
| 4. | ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (जीजीईएफ) | 2021 | 137,000,000 |
| 5. | भारत ई-मोबिलिटी वित्तपोषण कार्यक्रम | 2022 | 200,000,000 |
| 6. | क्लाइमेट इन्वेस्टर टू | 2022 | 145,000,000 |
| 7. | ग्रीन गारंटी कंपनी ("जीजीसी") | 2022 | 40,500,000 |
| 8. | क्लाइमेट इन्वेस्टर वन | 2023 | 100,000,000 |
| 9. | प्रोजेक्ट जीएआईए ("जीएआईए") | 2023 | 152,500,000 |
| 10. | अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड | 2024 | 24,500,000 |
| 11. | भारतीय एमएसएमई में उपशमन और अनुकूलन परियोजनाओं (एफएमएपी) का वित्तपोषण | 2024 | 215,600,000 |
| 12. | जीसीएफ-आईएफसी स्केलिंग रेजिलिएंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर (आरडब्ल्यूआई) सुविधा | 2024 | 258,000,000 |
| 13. | भारतीय हरित वित्त सुविधा (आईजीएफएफ) | 2025 | 200,000,000 |

*अनुलग्नक-//*

| क्र.सं. | शीर्षक | जीईएफ अवधि | फोकल क्षेत्र | शामिल किए गए राज्य | निष्पादन एजेंसी | जीईएफ अनुदान (अमेरिकी डॉलर में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पंजाब, हरियाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चावल-गेहूँ प्रणालियों में परिवर्तन के माध्यम से भारत में सतत खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना | जीईएफ - 7* | जलवायु परिवर्तन | पंजाब, हरियाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | 2,03,66,973 |
| 2. | जलवायु कार्यों और समर्थन उपायों के लिए एक एकीकृत और उन्नत पारदर्शिता ढांचा स्थापित करने हेतु क्षमता निर्माण | जीईएफ - 7 | जलवायु परिवर्तन | सम्पूर्ण भारत में | पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 38,00,000 |
| 3. | भारत में रहने योग्य शहर: एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से सतत शहरी नियोजन और विकास का प्रदर्शन | जीईएफ - 7 | जलवायु परिवर्तन | तमिलनाडु, पुणे, सूरत | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) | 1,72,15,652 |
| 4. | शहरों में विद्युतीकरण गतिशीलता: भारत में विद्युत गतिशीलता में परिवर्तन हेतु निवेश | जीईएफ - 7 | जलवायु परिवर्तन | महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, हिमाचल प्रदेश, असम | ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल), राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग | 53,66,976 |
| 5. | भारत में इमारतों में स्थायी तापीय अनुकूलन के लिए अति-कुशल तकनीकों को अपनाने में तेज़ी लाना | जीईएफ - 7 | जलवायु परिवर्तन | उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना | ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु | 44,84,357 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | परिवर्तन मंत्रालय | |
| 6. | भारत में जीईएफ लघु अनुदान कार्यक्रम का सातवाँ परिचालन चरण | जीईएफ - 7 | जलवायु परिवर्तन | टीएन, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, एमपी | ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी), मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 44,74,886 |
| 7. | यूएनएफसीसीसी के लिए भारत का चौथा राष्ट्रीय संचार (4NC) और चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR4) तैयार करना और जलवायु परिवर्तन पर संस्थागत एवं विश्लेषणात्मक क्षमताओं को सुदृढ़ करना। | जीईएफ - 7 | जलवायु परिवर्तन | अखिल भारतीय | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 45,66,000 |
| 8. | भारत में कम कार्बन वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए औद्योगिक बॉयलरों के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन में तापीय ऊर्जा दक्षता में सुधार | जीईएफ - 7 | जलवायु परिवर्तन | महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) | 26,64,690 |
| 9. | भारत की पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर) तैयार करना | जीईएफ - 7 | जलवायु परिवर्तन | सम्पूर्ण भारत में | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 18,16,500 |
| 10. | आंध्र प्रदेश की जलकृषि को एक संधारणीय, कम उत्सर्जन वाली और जलवायु अनुकूल खाद्य | जीईएफ-8** | जलवायु परिवर्तन | आंध्र प्रदेश | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | 1,46,66,666 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रणाली में परिवर्तित करना | | | | | |
| 11. | एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन के माध्यम से पशुपालकों की प्रतिकूलता सहन क्षमता को सक्षम बनाना | जीईएफ-8 | जलवायु परिवर्तन | उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | 99,00,000 |
| 12. | भारत की दूसरी और तीसरी द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर 2 और 3) तैयार करना | जीईएफ-8 | जलवायु परिवर्तन | संपूर्ण भारत में | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 53,65,500 |

*GEF-7 की समयावधि: 1 जुलाई, 2018 और 30 जून, 2022

**GEF-8 की समयावधि: जुलाई 2022 से जून 2026 तक